

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग,
हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।

सेवा में,

1. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
2. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।

यादी क्रमांक : 20/6-2024 तम (1)

दिनांक : 27.11.2025

विषय :- विभाग के आदेश क्रमांक 20/06-2024 तम (1) दिनांक 12.11.2024 के तहत जारी clarification को अवार्डी शिक्षकों पर लागू ना करने बारे।

उपरोक्त विषय पर विभाग के आदेश क्रमांक 20/06-2024 तम (1) दिनांक 12.11.2024 की निरंतरता में।

विषयांकित मामले में, आपको अवगत किया जाता है कि विभाग के आदेश क्रमांक 20/06-2024 तम (1) दिनांक 12.11.2024 के तहत निम्नानुसार clarification जारी की गई थी :-

"In the State Teacher Award Policy-2016 and 2020, there is a provision of two advance increments alongwith dearness allowance for entire future service. In this regard, a clarification dated 19.10.2020 was received from Finance Department vide which, it was advised to make a rectification in this provision as per HCS (Pay)/(Allowance)/(General) Rules, 2016. It is, therefore, decided that the pay of those teachers who have been awarded National/State/U.T Chandigarh Teacher Awards may be re-fixed as per Rule-37 of HCS (Pay) Rules-2016, however, while fixing their pay, the advance increments will be payable with the approval of competent authority w.e.f. 1st October of the year in which the award has been given."

2. सम्बंधित अवार्डी शिक्षकों द्वारा उक्त clarification दिनांक 12.11.2024 को माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ में चैलेंज करते हुए निम्नानुसार रिट याचिकाएं दायर की गई :-

- i) सी0डब्ल्यू0पी0 न0 25580 ऑफ 2024 (मेन केस- I)
- ii) सी0डब्ल्यू0पी0 न0 10248 ऑफ 2025 (मेन केस- I के साथ टैग)
- iii) सी0डब्ल्यू0पी0 न0 12026 ऑफ 2025 (मेन केस- I के साथ टैग)
- iv) सी0डब्ल्यू0पी0 न0 2243 ऑफ 2025 (मेन केस- I के साथ टैग)
- v) सी0डब्ल्यू0पी0 न0 28484 ऑफ 2024 (मेन केस- I के साथ टैग)
- vi) सी0डब्ल्यू0पी0 न0 29539 ऑफ 2025 (मेन केस- I के साथ टैग)
- vii) सी0डब्ल्यू0पी0 न0 5316 ऑफ 2025 (मेन केस- I के साथ टैग)
- viii) सी0डब्ल्यू0पी0 न0 5410 ऑफ 2025 (मेन केस- I के साथ टैग)
- ix) सी0डब्ल्यू0पी0 न0 6013 ऑफ 2025 (मेन केस- I के साथ टैग)
- x) सी0डब्ल्यू0पी0 न0 6025 ऑफ 2025 (मेन केस- I के साथ टैग)
- xi) सी0डब्ल्यू0पी0 न0 6360 ऑफ 2025 (मेन केस- I के साथ टैग)
- xii) सी0डब्ल्यू0पी0 न0 6850 ऑफ 2025 (मेन केस- I के साथ टैग)
- xiii) सी0डब्ल्यू0पी0 न0 8344 ऑफ 2025 (मेन केस- I के साथ टैग)
- xiv) सी0डब्ल्यू0पी0 न0 8777 ऑफ 2025 (मेन केस- I के साथ टैग)
- xv) सी0डब्ल्यू0पी0 न0 9112 ऑफ 2025 (मेन केस- I के साथ टैग)
- xvi) सी0डब्ल्यू0पी0 न0 1704 ऑफ 2025 (मेन केस- I)

- xvii) सी0डब्ल्यू0पी0 न0 20157 ऑफ 2025 (मेन केस-।। के साथ टैग)
xviii) सी0डब्ल्यू0पी0 न0 6396 ऑफ 2025
xix) सी0डब्ल्यू0पी0 न0 26227 ऑफ 2025 (मेन केस-।।।)
xx) सी0डब्ल्यू0पी0 न0 33845 ऑफ 2025 (मेन केस-।।। के साथ टैग)
xxi) सी0डब्ल्यू0पी0 न0 33840 ऑफ 2025 (मेन केस-।।। के साथ टैग)

3. माननीय उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ द्वारा सी0डब्ल्यू0पी0 न0 2243 ऑफ 2025 में दिनांक 28.01.2025 को निम्नानुसार अंतरिम आदेश पारित किये गये हैं :-

"In the meanwhile, operation of the impugned orders, dated 05.12.2024, 06.12.2024 and 12.11.2024, shall remain stayed"

4. इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मद 2 में अंकित उक्त रिट याचिकाओं में दिनांक 25.02.2025, 27.02.2025, 04.03.2025, 06.03.2025, 11.03.2025, 27.03.2025, 01.04.2025, 01.05.2025, 04.09.2025, 30.09.2025 एवं 14.11.2025 को पारित अंतरिम आदेशों में, उक्त clarification दिनांक 12.11.2024 पर स्टे प्रदान किया गया है।

5. इसके उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ द्वारा रिट याचिका संख्या 33840 ऑफ 2025 - पूनम यादव व अन्य बनाम हरियाणा सरकार में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 14.11.2025 की अनुपालना में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 26.11.2025 को निर्णय लिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित उक्त मामलों में अंतिम निर्णय पारित होने तक, विभागीय आदेश क्रमांक 20/06-2024 तम (1) दिनांक 12.11.2024 के तहत जारी clarification को अवार्डी शिक्षकों पर लागू (implement) ना किया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्देशों की अनुपालना करवाना सुनिश्चित किया जाये।

हस्ता./-

अधीक्षक तालमेल
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृष्ठांकन क्रमांक : सम

दिनांक पंचकूला 27.11.2025

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :-

1. पी0ए0/अतिरिक्त मुख्य सचिव विद्यालय शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. पी0ए0/महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
3. पी0ए0/निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
4. पी0ए0/निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा, गुरुग्राम।
5. मुख्य लेखा अधिकारी (माध्यमिक/मौलिक शिक्षा निदेशालय)।
6. अधीक्षक तालमेल (मौलिक शिक्षा)।
7. निदेशालय की सभी स्थापना शाखाएं (माध्यमिक/मौलिक शिक्षा)।
8. आई0टी0 सैल से अनुरोध है कि उक्त पत्र विभागीय वैबसाइट पर अपलोड किया जाये।

Adish

अधीक्षक तालमेल
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, विद्यालय शिक्षा,
हरियाणा चण्डीगढ़।

27/11/25